न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.65/प्रा.पत्र/2024 (GCMS No. 2024/114)	20.08.2024	25.03.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

1.अनुसूइया पुत्री रामलालदास जाति बाबाजी नि.राजपुरा
2.बनवारीलाल बैरागी पुत्र रामलालदास जाति बाबाजी नि.राजपुरा
3.राजू बैरागी पुत्र रामलालदास जाति बाबाजी नि.राजपुरा
4.रामप्यारीबाई पत्नी रामलालदास जाति बाबाजी नि.राजपुरा
5.कजोडदास पुत्र मोडूदास जाति बाबाजी नि.राजपुरा
6.प्रभुदास पुत्र मोडूदास जाति बाबाजी नि.राजपुरा
7.बच्ची पुत्री मोडूदास जाति बाबाजी नि.राजपुरा
8.मदनदास पुत्र मोडूदास जाति बाबाजी नि.राजपुरा

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री रामकैलाश नागर एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी मोडूदास बाबाजी को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 635/283 कुल रकबा 2.4281 हैक्टेयर वाकेग्राम राजपुरा आवंटन आदेश दिनांक 23.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 65/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2024/114 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, मौके पर उक्त भूमि पर अन्य व्यक्ति जगदीश आ. मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी राजपुरा ने चावल की फसल कर कब्जा काश्त किया हुआ है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 23.11.1975 को अप्रार्थीगण के पिता मोडूदास आ. बालादास कौम बाबाजी निवासी राजपुरा को सम्पूर्ण जांच उपरान्त आवंटन का पात्र मानते हुऐ प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया था तथा आवंटित भूमि का कब्जा दिया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया है। उक्त कृषि भूमि पर वर्तमान में भी गैर खातेदार के वारिसान काबिज काश्त है। राजस्थान कृषि भूमि आवंटन अधिनियम,1970 के तहत आवंटन के 3 वर्ष बाद गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान है, जिसके अनुसार आवंटी 3 वर्ष बाद कानूनन गैर खातेदार से स्वतः खातेदार बन चुका है। उक्त आवंटन को 48 वर्ष हो चुके है, जिसकी जानकारी प्रार्थी को शुरू से रही है। प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में मियाद को कन्डोन करने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। ऐसे में प्रार्थी द्वारा मियाद बाहर पेश किया गया प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी मिथ्या तथ्यों के आधार पर अन्य व्यक्ति को लाभ पहुचाने के लिए प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्राप्त आवंटन पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि मोडूदास आ. बालादास जाति बाबाजी निवासी राजपुरा को दिनांक 23.11.1975 को भूमि खसरा सं. 283 रकबा 15 बीघा वाकेग्राम राजपुरा का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार

जिला कलक्टर, बूंदी

तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) यहां पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम राजपुरा की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 635/283 रकबा 2.4281 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4 पर "आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है" अंकित किया है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस उक्त आवंटित भूमि पर उनका कब्जा काश्त होना बताया है किन्तु अपने कथन के समर्थन में अप्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार मौके पर उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। उक्त भूमि पर ग्राम राजपुरा के ही अन्य ग्रामीण जगदीश आ. मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी राजपुरा द्वारा चावल की फसल कर कब्जा काश्त किया हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गैर खातेदारान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी मोडूदास आ. बालादास जाति बाबाजी निवासी राजपुरा को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं. 283 रकबा 15 बीघा (हाल खसरा सं. 635/283 रकबा 2.4281 हैक्टेयर) वाकेग्राम राजपुरा दिनांक 23.11.1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्तियों का कब्जा पाया जावे, तो उनके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 25.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी

जिला कलक्टर, बून्दी